रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.
1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ....469/22............ दिनांक ....11/12/2022............
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7, 7ए..............................
   (ब) अधिनियम ....भादस..................धारायें.........120बी..............................
   (स) अधिनियम ....धारायें..............................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....202........समय.........1:30P.M.................
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–शुक्रवार / 09.12.2022 / 01.25 पी.एम...............................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–08.12.2022 समय.–01.10 पी.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – टाईप शुदा
5. घटनास्थल :– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पश्चिम , दूरी करीब 75 किमी..
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं...............................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................

6.परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री राजेश**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री प्रभू जाति जाटव ....(स) जन्म तिथि / वर्ष 40 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह...................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –जाटव मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   1– डॉ. मोहन सिंह पुत्र श्री मोरध्वज जाति जाट उम्र 40 साल निवासी थून पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर।

   2– कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र राम मोहन जाति वैश्य उम्र 35 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहाडी जिला भरतपुर। (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....20,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
   ....20,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मै राजेश S/O प्रभू जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला पहाडी थाना पहाडी जिला भरतपुर का रहने वाला हूं कल दिनांक 07.12.2022 को मेरे व मेरे किरोडी के साथ मेरे बडे भाई महावीर व उसकी पत्नि व लडकी ने लडाई झगडा कर मारपीट की थी जिससे मेरे व किरोडी के शरीर पर चोटें आई थी इसके बाद मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने मै व किरोडी दोनो थाना पहाडी गये थे जहां मेरे भाई किरोडी ने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके बाद पुलिस ने हम दोनों भाईयों के शरीर पर आई चोटों का सरकारी अस्पताल पहाडी में मेडिकल मुआयना करवाया था मेडिकल मुआयना अस्पताल के डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था जिसने मेरी चोटों का एक्स रे की सलाह दी थी और मुझे एक पर्ची पर एक्स–रे कराने की लिखा था इसके बाद आज सुबह मै एक्सरा करवाने सरकारी अस्पताल गया तो वहां डॉक्टर मोहन सिंह मिला जिसने

मुझसे कहा कि दुसरी पार्टी के ज्यादा चोट आई हैं धारा 325,326 बन रही हैं अगर तुमको भी धारा 326 बनवानी है और दुसरी पार्टी की चोट हल्की करवानी है तो 50,000 रूपये देने होगें और इसकी बात आमेरिया मेडिकल वाले कुलदीप कुल्ली से कर लो इसके बाद मैने कुलदीप कुल्ली से बात की तो उसने मुझसे कहा कि मोहन सिंह डॉक्टर साहब से मैं बात कर लुंगा। तुम्हारा काम हो जावेगा 30,000 रूपये दे देना। डॉक्टर मोहन सिंह व दलाल कुलदीप कुल्ली मेरे सही काम को करने के लिये रिश्वत मांग रहे हैं मै इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी राजेश, राजेश S/O प्रभू जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला पहाडी थाना पहाडी जिला भरतपुर मो. 6376785830 एसडी महेश मीणा अति. पुलिस अधीक्षक 08.12.22 एसडी वी पी सिंह 09.12.2022 एसडी राजेन्द्र कुमार मीणा 09.12.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.12.2022 को समय 01.10 ए.एम. पर परिवादी श्री राजेश पुत्र प्रभू जाति जाटव उम्र 40 साल निवासी जाटव मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक टाईप शुदा रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति व एक्स–रे एडवाईज पर्ची की छाया प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के समक्ष पेश की इस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि राजेश पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला पहाडी थाना पहाडी जिला भरतपुर का रहने वाला हूं कल दिनांक 07.12.2022 को मेरे व मेरे किरोडी के साथ मेरे बडे भाई महावीर व उसकी पत्नि व लडकी ने लडाई झगडा कर मारपीट की थी जिससे मेरे व किरोडी के शरीर पर चोटें आई थी इसके बाद मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने मै व किरोडी दोनो थाना पहाडी गये थे जहां मेरे भाई किरोडी ने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके बाद पुलिस ने हम दोनों भाईयों के शरीर पर आई चोटों का सरकारी अस्पताल पहाडी में मेडिकल मुआयना करवाया था मेडिकल मुआयना अस्पताल के डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था जिसने मेरी चोटों का एक्स रे की सलाह दी थी और मुझे एक पर्ची पर एक्स–रे कराने की लिखा था इसके बाद आज सुबह मै एक्सरा करवाने सरकारी अस्पताल गया तो वहां डॉक्टर मोहन सिंह मिला जिसने मुझसे कहा कि दुसरी पार्टी के ज्यादा चोट आई हैं धारा 325,326 बन रही हैं अगर तुमको भी धारा 326 बनवानी है और दुसरी पार्टी की चोट हल्की करवानी है तो 50,000 रूपये देने होगें और इसकी बात आमेरिया मेडिकल वाले कुलदीप कुल्ली से कर लो इसके बाद मैने कुलदीप कुल्ली से बात की तो उसने मुझसे कहा कि मोहन सिंह डॉक्टर साहब से मैं बात कर लुंगा। तुम्हारा काम हो जावेगा 30,000 रूपये दे देना। डॉक्टर मोहन सिंह व दलाल कुलदीप कुल्ली मेरे सही काम को करने के लिये रिश्वत मांग रहे हैं मै इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है। उक्त रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 02.05 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये रीतराम सिंह हैड कानि. 45 से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. नं. 203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। बाद हिदायत परिवादी एवं श्री परसराम कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सरकारी मोटर साईकिल आर जे 14 एन बी 5665 सरकारी हॉस्पीटल पहाडी जिला भरतपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.30 पीएम पर परिवादी श्री राजेश व श्री परसराम कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर से

रवाना होकर पहाडी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहुंचा जहां मेरा भाई किरोडी भी मॉजूद मिला एवं मेरी व मेरे भाई किरोडी की सरकारी हॉस्पीटल के पास मेडिकल दुकान पर डॉ. मोहन सिंह व दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली से मेरी व मेरे भाई की वार्ता हो गई है। डाक्टर साहब व दलाल कुलदीप व कुल्ली ने मेरे व मेरे भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना करने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में आरोपीगण द्वारा 50,000/– रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 30,000 रूपये कल दिनांक 09.12.2022 को मेरे से लेने पर सहमत हुए है मैंने उक्त वार्तालाप इस वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। इसके बाद मैं परसराम कानि. के पास पहुंचा जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने परसराम कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री परसराम वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए और मेरा भाई किरोडी वहीं से घर चला गया था। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर पेन ड्राईव तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर परिवादी राजेश व आरोपी डॉ मोहन सिंह सीएचसी पहाडी व दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और तीन पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम परिवादी श्री राजेश से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपयों का इन्तजाम नहीं है मै घर जाकर कल सुबह तक में रिश्वत में दी जाने वाली का इन्तजाम कर लुंगा। रात्री अधिक होने के कारण परिवादी के साथ श्री परसराम कानि0 दोनों को मुनासिब हिदायत देकर सरकारी मोटर साईकिल से पहाडी के लिये रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 09.12.2022 समय 09.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री गोकुलेश कानि0 454 को आयुक्त/उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह को लाने हेतु रवाना करने पर समय 09.30 पर मय दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आया। जाहिर किया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय आयुक्त/उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर पहुंचा जहां गोपनीय कार्यवाही हेतु गवाह श्री वी पी सिंह पुत्र श्री मुरारी लाल जाति माली उम्र 31 साल निवासी जहानपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाण्ज्यिक कर विभाग वृत अ भरतपुर एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सुआलाल मीना जाति मीना उम्र 41 साल निवासी ग्राम ऊलूपुरा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल सहायक आयुक्त राज्यकर वृत अ भरतपुर होना बताया। गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.00 एएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 45, हरभान सिंह कानि0 591, विनोद सिंह कानि0 114, यशपाल कानि0 473, देवेन्द्र कानि0 221 एवं सुरेश कुमार कानि0 185 मय फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी को प्राईवेट गाडी के डेस्क बोर्ड में रखवा कर मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछ–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप सिह कानि0 610 व श्री रितेश कुमार कानि0 64, श्री गोकुलेश कानि0 454 मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पहाडी जिला भरतपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.55 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान में हमराही जाप्ता मय प्राईवेट वाहनों के गोपालगढ रोड पहाडी पहुंचा जहां पूर्व से तबल शुदा परिवादी

श्री राजेश व श्री परसराम कानि0 203 उपस्थित मिले परिवादी ने बताया की अभी कुछ समय पहले दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली का मेरे मोबाईल पर कॉल आया था जिसने मुझे 20,000 रूपये लाने को कहा है। मेरे पास 20,000 रूपये का इन्तजाम है। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के सम्बंध में बताया व परिवादी से परिचय करवाया परिवादी द्वारा पेश की गई टाईप शुदा रिपोर्ट को पढने हेतु दिया दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी सहमति जाहिर करते हुए परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किए गये। तत्पश्चात समय 12.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अति. पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री राजेश पुत्र प्रभू जाति जाटव उम्र 40 साल निवासी जाटव मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 24 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 12000/– रूपये व 04 नोट दो–दो हजार रूपये के कुल 8000/– रूपये कुल राशि 20,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 NB 646334
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 NM 921793
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 VW 395498
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 HV 132191
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 SN 001784
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 EN 916687
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 TS 564929
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 HD 281036
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 FR 133683
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 SG 882112
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 BE 548849
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 DL 951060
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 QP 432640
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 TH 233122
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 GK 712358
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 QE 764537
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 BH 426285
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 AE 890268
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 SR 720254
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 HM 518176
21	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 KM 220531
22	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 TW 066447
23	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 NQ 755599
24	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 UR 102681
25	एक नोट दो हजार रूपये का	7 FD 481362
26	एक नोट दो हजार रूपये का	3 HP 867062
27	एक नोट दो हजार रूपये का	6 DN 205424
28	एक नोट दो हजार रूपये का	6 CQ 999818

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरेश कुमार कानि0 185 से प्राईवेट गाडी के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सुरेश कुमार कानि0 से

फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री राजेश की जामा तलाशी वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000/–रूपये के नोटों को श्री सुरेश कुमार कानि0 से परिवादी के पहने हुए पेन्ट की दांयी तरफ की साईड की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक आयुक्त से एक कांच के गिलास में साफ पानी रोड के साईड में लगे नल से मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड की साईड में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री सुरेश कुमार कानि0 के पास रखवाया गया हिदायत दी गई कि आप यहीं आस पास मुकीम रहना। श्री सुरेश कुमार के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को ट्रेप बॉक्स में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त टे्प पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि0 को यहीं आस पास मुकीम रहने हेतु हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की रोड के पास स्थित दुकान पर गोपनीय रूप से प्रिन्ट आउट कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात समय 12.55 पीएम पर परिवादी श्री राजेश व श्री परसराम कानि0 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री रितेश कुमार कानि0 व श्री गोकुलेश कानि0 को सरकारी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों मय प्राईवेट वाहानों व प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर रवाना हुआ। तत्पश्चातय समय 01.15 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों व परिवादी के सीएचसी पहाडी के पास पहुंचा जहां वाहनों को रोड की साईड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र पहाडी की बगल वाली मस्जिद के गेट की ओर रवाना कर पीछे पीछे जाब्ता रवाना कर मन अति. पुसिल अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए सीएचसी पहाडी के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। इसके बाद समय 01.25 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री राजेश के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कस्बा पहाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने रोड से रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल वाले रोड पर मस्जिद के पास

पहुचा जहां परिवादी श्री राजेश मौजूद मिला जहां परिवादी श्री राजेश से पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी श्री राजेश ने एक व्यक्ति जीन्स पेंट शर्ट पहने आमेरिया मेडिकल की दुकान के सामने खडा था की ओर ईशारा कर बताया कि यही दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली है जिसने मेरे से अभी अभी डाक्टर साहब के कहने पर मुझसे मेडीकल बनवाने व एक्स –रे में गम्भीर चोट दर्शाने की एवज में 20,000 रूपये प्राप्त अपने दोनो हाथों से गिनकर अपने पहने हुए जीन्स पेंट की पीछे की बायी तरफ की जेब में रख लिये हैं तथा कुलदीप उर्फ कुल्ली ने मेरे सामने मोहन सिंह डाक्टर साहब को मोबाईल से कॉल कर बताया कि काम हो गया है एक्स–रे करवा दो। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के आमेरिया मेडिकल दुकान के पास खडे व्यक्ति के पास पहुंच कर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र राम मोहन जाति वैश्य उम्र 35 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहाडी जिला भरतपुर होना बताया। जिससे परिवादी से 20,000/– रूपये रिश्वत लेने के संबंध में पूछा तो कुलदीप उर्फ कुल्ली ने बताया कि मैने 20,000 रूपये डॉ. मोहन सिंह के कहने पर लिये हैं जिनको मैने गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेंट के पीछे के बांयी तरफ की जेब में रख लिये है जो अभी भी जेब में रखे हुए हैं। चूंकि मौके पर काफी लोगों की भीड इक्ठठी हो चुकी है एवं आरोपी के परिजन एवं मिलने वाले काफी हंगामा कर रहे है ऐसी सूरत मे थानाधिकारी थाना पहाडी को जरिये मोबाईल मौके पर उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये एवं मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली का बाया हाथ कलाईयों के उपर से हमराही जाप्ता में से श्री रीतराम हैड कानि0 45 व आरोपी का दायां हाथ कलाईयों के उपर से श्री परसराम कानि0 203 से पकड लिये। तत्पश्चात मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय डिटेन शुदा आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली को हाथ पकडी हुई अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी के अन्दर ओपीडी कक्ष के गेट पर पहुंचा जहां एक चिकित्सक मरीजों का ईलाज कर रहा है उक्त चिकित्सक की तरफ परिवादी श्री राजेश ने ईशारा कर बताया कि यही डाक्टर मोहन सिंह हैं जिन्होने कल दिनांक 08.12.2022 को मुझसे, मेरे व मेरे भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना करने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में 50,000 रूपये मांगे थे और रूपये दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को देने की कहा था जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय आकर की थी जिसपर आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था जिसमें डाक्टर साहब ने मुझसे 50,000 रूपये की मांग की थी तथा मेरे निवेदन करने पर 30,000 रूपये लेने पर राजी हुए थे तथा दलाल भी उस समय डाक्टर साहब के पास ही था जिसने भी मुझसे 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा आज सुबह दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली ने जरिये मोबाईल मुझसे कहा कि 20,000/– रूपये दे देना डाक्टर साहब से मेरी बात हो गई हैं। इसके बाद दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली ने मुझसे 20,000 रूपये अभी कुछ समय पहले ले लिये हैं। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए ओपीडी कक्ष में बैठे हुए डॉक्टर को डिटेन कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. मोहन सिंह पुत्र श्री मोरध्वज जाति जाट उम्र 40 साल निवासी थून पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर होना बताया चूंकि मौके पर आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली के परिजन व मिलने वाले करीबन 8–10 व्यक्ति अचानक से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी के अन्दर ओपीडी कक्ष पर आकर जोर जोर से हंगामा करने लगे एवं कक्ष में घुसकर एसीबी टीम के साथ धक्का मुक्की कर आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को छुडाने का प्रयास करने लगे तभी पुलिस थाना पहाडी का जाप्ता मौके पर आया आरोपी को छुडाने का प्रयास करने वाले दो व्यक्तियों को डिटेन किय बाकी हंगामा करने वाले व्यक्ति भाग गये जिनकी पहचान करवाई जाकर पृथक से राजकार्य में बाधा का प्रकरण पुलिस थाना पहाडी में दर्ज कराया जावेगा। आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली को हाथ पकडी हुई अवस्था में एवं डिटेन शुदा डॉक्टर मोहन सिंह को मौके पर हंगामा होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान हेतु हमराह लेकर मय हमराहीयान जाप्ता , स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं वाहनों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रवाना होकर पुलिस थाना पहाडी पहुंचा जहां थानाधिकारी कक्ष में डिटेन शुदा आरोपी डॉ. मोहन

सिंह व हाथ पकडी हुई अवस्था में आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को बिठाया गया। तत्पश्चात डिटेन शुदा डॉ. मोहन सिंह से परिवादी श्री राजेश से प्राईवेट व्यक्ति के माध्यम से 20,000 रूपये लेने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं करीबन चार साल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं दिनांक 07.12.2022 को शाम को करीबन 07 बजे पुलिस थाना पहाडी के कानिस्टेबल भूपसिंह के साथ राजेश एवं उसका भाई किरोडी चोटों के मेडिकल मुआयने हेतु सीएचसी पहाडी पर आये थे जिसपर मैने दोनों भाईयों का उसी समय उनके आई हुई चोटों का मेडिकल मुआयना कर दिया था एवं राजेश के शरीर पर आई चोटों का एक्स–रे एडवाईज किया था और कहा था कि कल आकर एक्स–रे करवा लेना मैने उनको एक्स–रे एडवाईज की पर्ची भी बना कर दी थी। इसके बाद कल शाम को करीबन 5–6 बजे मैं सीएचसी से आमेरिया मेडिकल स्टोर पर गया था तो उस समय राजेश व उसका भाई किरोडी मेडिकल की दुकान के बाहर खडे थे। मेरे से दोनों भाईयों ने रामा श्यामा की थी तथा मुझसे मेडिकल बनाने के संबंध में वार्तालाप करने लग गये और मेरे से कहा कि 30,000 रूपये लेलो और मेडिकल धारा 326 का बना दो मैने दोनों भाईयों से मजाक मजाक में कहा था कि मै तुम्हारा मेडिकल 50,000/–रूपये में भी नहीं बनाउंगा। इसके बाद मैं सीएचसी आ गया था दोनों भाईयों व कुलदीप उर्फ कुल्ली के बीच क्या वार्ता हुई मुझे नहीं पता तथा मैने ना ही परिवादी राजेश से रिश्वत की मांग की और ना ही मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर पास खडे परिवादी श्री राजेश ने डॉक्टर साहब की बात का खण्डन करते हुए कहा था कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं इन्होने कल दिनांक 08.12.2022 को मुझसे, मेरे व मेरे भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना करने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में 50,000 रूपये मांगे थे और रूपये दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को देने की कहा था जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय आकर की थी जिसपर आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था जिसमें डाक्टर साहब ने मुझसे 50,000 रूपये की मांग की थी तथा मेरे निवेदन करने पर 30,000 रूपये लेने पर राजी हुए थे तथा दलाल भी उस समय डाक्टर साहब के पास ही था जिसने भी मुझसे 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। तत्पश्चात आरोपी दलाल कुलदीप सिंह उर्फ कुल्ली से पुनः पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मेरा पहाडी अनाज मण्डी में आढत का काम है एवं ताउ के लडके राकेश की दुकान जो आमेरिया मेडिकल स्टोर के नाम से है जो सीएचसी के पास है सुबह शाम में दुकान पर उठता बैठता रहता हूं मेरा राजेश जाटव निवासी पहाडी से लेन देन चलता रहता है मैने कल इनसे अपने हिसाब के पैसे मांगे थे और आज भी मैने इनसे हिसाब के 20,000 रूपये लिये थे मैने इनसे डॉक्टर सहाब के लिये व अपने लिये रिश्वत के रूपये नहीं लिये थे। इस पर पास खडे परिवादी श्री राजेश ने दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली की बात का खण्डन करते हुए कहा कि कुलदीप उर्फ कुल्ली झूठ बोल रहे है इन्होने कल दिनांक 08.12.2022 को मुझसे, मेरे व मेरे भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना डॉक्टर मोहन सिंह से कराने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज कराने की एवज में 30,000 रूपये मांगे थे और रूपये दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को देने की कहा था जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय आकर की थी जिसपर आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था जिसमें डाक्टर साहब ने मुझसे 50,000 रूपये की मांग की थी तथा मेरे निवेदन करने पर 30,000 रूपये लेने पर राजी हुए थे तथा दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली भी उस समय डाक्टर साहब के पास ही था जिसने भी मुझसे 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी और आज 20,000 रूपये रिश्वत के मेरे से ले लिये थे। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर पुलिस थाना पहाडी में रखे पानी के कैम्पर में से पानी मगवा कर स्टील के कटोरे को शैम्पू पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक आयुक्त से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री कुलदीप उर्फ कुल्ली प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित

करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री कुलदीप उर्फ कुल्ली प्राईवेट व्यक्ति के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री वी पी सिंह वरिष्ठ सहायक से आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी ओर की पीछे की जेब से 2000–2000 रूपये व 500–500 रूपये के नोट मुडी हुई अवस्था में मिले जिनको गिनवाया गया तो 2000–2000 रूपये के चार नोट व 500–500 रूपये के 24 नोट भारतीय चलन मुद्रा के होना पाये गये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के कराया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 NB 646334
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 NM 921793
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 VW 395498
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 HV 132191
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 SN 001784
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 EN 916687
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 TS 564929
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 HD 281036
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 FR 133683
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 SG 882112
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 BE 548849
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 DL 951060
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 QP 432640
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 TH 233122
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 GK 712358
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 QE 764537
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 BH 426285
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 AE 890268
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 SR 720254
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 HM 518176
21	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 KM 220531
22	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 TW 066447
23	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 NQ 755599
24	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 UR 102681
25	एक नोट दो हजार रूपये का	7 FD 481362
26	एक नोट दो हजार रूपये का	3 HP 867062
27	एक नोट दो हजार रूपये का	6 DN 205424
28	एक नोट दो हजार रूपये का	6 CQ 999818

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। उक्त घोल में आरोपी श्री

कुलदीप उर्फ कुल्ली के पहने हुए जीन्स पेन्ट को उतरवा कर पहनने के लिये घर से लॉवर मंगवाया जाकर दिया गया एवं जीन्स पेन्ट की पीछे की बांयी तरफ की जेब को उलटवाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी पी–1 व पी पी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा पेन्ट बरंग आसमानी जिसकी बैल्ट पर अंग्रजी में डीएनएम फ्लू जीन्स को. लिखा हुआ है। जीन्स पेन्ट को उलटवा कर सुखावा कर जेब पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पीपी अंकित किया जाकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। परिवादी राजेश से संबंधित मेडिकल मुआयना रिपोर्ट सीएचसी पहाडी से एवं परिवादी द्वारा पुलिस थाना पहाडी में प्रेषित की गई संबंधित रिपोर्ट पृथक से प्राप्त की जावेगी। आरोपीगण डॉ. मोहन सिंह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व दलाल कुलदीप उफ कुल्ली का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के निवास स्थान के संबंध में पूछा तो बताया कि सरकारी आवास में निवास करता हूं इस पर सरकारी आवास की तलाशी पृथक से ली जावेगी। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी डॉ. मोहन सिंह पुत्र श्री मोरध्वज जाति जाट उम्र 40 साल निवासी थून पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर को परिवादी श्री राजेश से परिवादी व उसके भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना करने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.12. 2022 को आरोपीगण द्वारा 30,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना व रिश्वत राशि को आरापी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली को दिलवाने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक आयुक्त से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल ओपो कम्पनी डवल सिम का मिला जिसमें मोबाइल नम्बर 9057101131 एवं 9024281404 की सिम लगी हुई है चूंकि उक्त मोबाइल में लगी हुई सिम के मोबाईल नं0 9057101131 पर वाट्सएप्प पर रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता का स्क्रीन शॉट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। अतः उक्त मोबाइल को स्विच ऑफ कर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं पर्स में 6000 रूपये व पहचान पत्र मिले जिसके सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि ये रूपये घर खर्च होना बताये उक्त 6000 रूपयों व पर्स को हमराह एसीबी लिया गया परिजनों के उपस्थित होने पर पृथक से सुपुर्द किये जावेगें।। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र राम मोहन जाति वैश्य उम्र 35 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहाडी जिला भरतपुर। (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी श्री राजेश से परिवादी व उसके भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना कराने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.12.2022 को आरोपीगण द्वारा 30,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि को प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक आयुक्त से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल विवो कम्पनी

डवल सिम का मिला जिसमें मोबाइल नम्बर 8058565615 एवं 9079238530 की सिम लगी हुई है चूंकि उक्त मोबाइल में लगी हुई सिम नं0 8058565615 पर वॉट्स एप्प रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता का स्क्रीन शॉट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। अतः उक्त मोबाइल को स्विच ऑफ कर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं पर्स में 7000 रूपये मिले जिसके सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि ये रूपये घर खर्च होना बताये उक्त 7000 रूपयों को हमराह एसीबी लिया गया परिजनों के उपस्थित होने पर पृथक से सुपुर्द किये जावेगें। तत्पश्चात समय 07.00 पीएम पर परिवादी से संबंधित दस्तावेजात के संबंध में पुलिस थाना पहाडी पर पूछने से श्री गोपाल सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर ने परिवादी श्री राजेश व उसके भाई किरोडी द्वारा पुलिस थाना पहाडी में दिनांक 07.12.2022 को पेश की गई तहरीर व उक्त तहरीर के आधार पर थानाधिकारी पहाडी द्वारा चिकित्सा अधिकारी पहाडी को परिवादी व उसके भाई की चोटों का मेडिकल करने के लिये प्रेषित की गई तहरीर व परिवादी की तहरीर पर एफआईआर नं0 371/22 धारा 323,341,504,452 भादश की प्रमाणित प्रति पेज संख्या 01 लगायत 04 पेश की जो श्री गोपाल सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना पहाडी द्वारा प्रमाणित है उक्त का अवलोकन कर पेज संख्या 01 व 04 पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रमाणित प्रति को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त किया गया । फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.20 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी व आरोपीगण की मौजूदगी में कब्जा एसीबी लिये गये आरोपीगण के मोबाईल फोन जिसमें दौराने रिश्वत लेने देन दोनों आरोपियों के मध्य परिवादी श्री राजेश से संबंधित कार्य में की वॉट्स एप्प कॉल का विवरण अंकित है। आरोपीगण के मोबाईलों के वॉट्स एप्प के द्वारा की गई कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट के प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर स्क्रीन शॉटों को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द जप्ती मोबाईल पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.40 पीएम पर पुलिस थाना पहाडी से रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंच परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका में रोड लाईटों व सीएचसी पहाडी पर लगी लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 08.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय गिरफतार शुदा आरोपीगण मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 20,000 रूपये मय धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के जरिये राजकीय एवं प्राईवेट वाहनों एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 09.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय गिरफतार शुदा आरोपीगण मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 20,000 रूपये मय धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के पुलिस थाना मथुरा गेट पहंचा जहां आरोपीगण को बन्द हवालात कराया गया। बाद कराकर बन्द हवालात रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 20,000/-रूपये, धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात समय 10.10 पीएम पर परिवादी राजेश से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी व आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली व आरोपी डॉ. मोहन सिंह के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और तीन पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला

रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिसपर एसीबी एसयू बीपीआर (12) लिखा हुआ है, को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक आयुक्त को दी गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 10.12.2022 को सुबह 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूख्सत किया गया व रात्री अधिक होने के कारण परिवादी को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 10.12.2022 को आरोपीगण की आवाज की पहचान उनके सहकर्मी विचित्र विभूति भूषण से कराई जाकर फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा परिवादी श्री राजेश एवं उसके भाई किरोडी की एमएनसी रिपोर्ट जो डॉ0 विचित्र विभूति भूषण सीएचसी पहाडी के द्वारा पेश की गई जिन्हको कार्यावाही हाजा में आवश्यकता होने पर जरिये फर्द जप्त किया गया फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किया गया बाद कार्यवाही परिवादी व दोनों स्वतत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी डॉ. मोहन सिंह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी द्वारा दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली के माध्यम से परिवादी श्री राजेश से उसकी व उसके भाई किरोडी की चोटों का मेडिकल मुआयना करने व चोटों को गम्भीर प्रवृति की दर्शाने के लिये एक्स–रे एडवाईज करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.12.2022 को आरोपीगण द्वारा 30,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना एवं आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली द्वारा आज दिनांक 09.12.2022 को जरिये मोबाईल परिवादी से 20,000/– रूपये लेने पर सहमत होना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.12.2022 को आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्ली प्राईवेट व्यक्ति को परिवादी से 20,000/–रूपये रिश्वत राशि लेते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास पकडे जाना व आरोपी डॉ. मोहन सिंह को रिश्वत राशि प्राप्त होने की मोबाईल से सूचना देना व आरोपी दलाल कुलदीप उर्फ कुल्ली के पास रिश्वत राशि 20,000 रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त डॉ. मोहन सिंह पुत्र श्री मोरध्वज जाति जाट उम्र 40 साल निवासी थून पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाडी जिला भरतपुर व कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र राम मोहन जाति वैश्य उम्र 35 साल निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहाडी जिला भरतपुर। (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू भरतपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. डॉ. मोहन सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी, जिला भरतपुर 2. श्री कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र राम मोहन (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी सरकारी हॉस्पीटल के पास पहाड़ी जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 469/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.12.22

(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4016-20 दिनांक 11.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. निदेशक(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

11.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।